

पंजीयन क्रमांक 1735/18
दिनांक 26.03.2018
डिस्पेच नं. 516
दिनांक 26.03.2018

राजस्थान सरकार

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर



गौशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

श्री स्वर्ण एरा विकास संस्थान, जैसलमेर
ग्राम हांसुवाला पोस्ट रामगढ़ (नैतसी)
तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूँकि श्री बलोच रवां (सचिव) न्यासी (ट्रस्टी)
गौशाला श्री स्वर्ण एरा विकास संस्थान, जैसलमेर ने राजस्थान
गौशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गौशाला
के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद मैं संतुष्ट हो गया हूँ।
आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के
अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गौशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आज दिनांक दोबीस माह मार्च वर्ष दो हजार अठारह



रजिस्ट्रार गौशाला एवं संयुक्त निदेशक
(गौशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गौशाला विकास अधिकारी
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार




रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....33...../जैसल/2008-2009..

यह प्रमाणित किया जाता है कि शुक्ल धरा विकास
संस्थान, जैसलमेर जिला जैसलमेर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक.....24.....माह जुलाई.....सन् दो हजार 08..को
जैसलमेर में दिया गया ।




(रमेश कुमार काफना)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर